

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 26/2026

सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट नि.ढाणी 2 एमजेडी रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

समस्त जाति जाट निवासीगण 2 एमजेडी रतनपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

1. बृजलाल पुत्र जोराराम
2. सुमित्रा पुत्री बृजलाल
3. अशोक कुमार पुत्र बृजलाल
4. विनोद कुमार पुत्र राकेश कुमार
5. अनिल कुमार पुत्र राकेश कुमार
6. उर्मिला देवी पत्नी राकेश कुमार
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष प्रस्तुत इनफिसाल कतईं रूबरू हमारे बहाजरी श्री संतोष गोदारा वकील वादी मिन जाभिन मुदईं श्री कुलदीप मूण्ड प्रथम प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 4 आरटीपी खाता संख्या 104/79 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 नहरी मय गै.मु.आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

1. वादी सुरेन्द्र कुमार के हक हिस्सा की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
180/189	39	5/1/0.202, 5/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 5/3/0.026 गै.मु.खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.खाला
181/189	38	1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै. मु.रास्ता कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

- 2 प्रतिवादी संख्या 3 अशोक कुमार के हक हिस्सा की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
181/189	38	3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै. मु.रास्ता 5/1/0.228, 5/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता, 6/0.253 है. कुल 1. 012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

- 3 प्रतिवादी संख्या 4,5,6 विनोद कुमार, अनिल कुमार, उर्मिला के बहिब हक हिस्सा की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
180/188	27	15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु.खाला, 16/1/0.228, 16/2/0. 025 गै.मु.खाला, 25/1/0.228, 25/2/0.025 है.गै.मु.खाला,
181/188	28	21/0.253 है. कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

नोट:- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय

शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...2.2.2026...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया